



सं. I/14011/02/2011-रा.भा.(नीति-1)

दिनांक 26 सितम्बर, 2011

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश ।

अनेक महत्वपूर्ण मंचों, जिनमें शीर्ष स्तर की बैठकें भी शामिल हैं, में बार-बार हिंदी के संघ की राजभाषा के रूप में व्यापक प्रसार और प्रयोग के लिए सरकारी कामकाज में बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल पर बल दिया जाता है । माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई, 2011 को आयोजित केंद्रीय हिंदी समिति की 30वीं बैठक में भी राजभाषा हिंदी के सरल स्वरूप को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया था । उक्त बैठक के क्रम में माननीय श्री जितेन्द्र सिंह, गृह राज्यमंत्री की अध्यक्षता में 8.9.2011 में आयोजित अंतर्मंत्रालयीय एवं अंतरविभागीय समन्वय और समीक्षा बैठक में भी अनेक अधिकारियों ने हिंदी भाषा के सरल रूप को अपनाने की बात कही थी । इस मत को व्यापक समर्थन मिला था ।

2. किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं—साहित्यिक और कामकाज की भाषा । कामकाज की भाषा में साहित्यिक भाषा के शब्दों के इस्तेमाल से उस भाषा विशेष की ओर आम आदमी का रुझान कम हो जाता है, और उसके प्रति मानसिक विरोध बढ़ता है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी ने भी अपने स्वरूप को बदलते समय के साथ खूब ढाला है । आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी के विख्यात साहित्यकारों जैसे शेक्सपियर, विलियम थैकरे या मैथ्यू आर्नल्ड की शैली की अंग्रेजी नहीं लिखती है । अंग्रेजी भाषा में भी विभिन्न भाषाओं ने अपनी जगह बनाई है, तथा इसके कामकाजी स्वरूप में रोजमर्रा के शब्दों ने अपने लिए बखूबी जगह बनाई है । बदलते माहौल में, कामकाजी हिंदी के रूप को भी सरल तथा आसानी से समझ में आने वाला बनाना होगा । राजभाषा में कठिन और कम सुने जाने वाले शब्दों के इस्तेमाल से राजभाषा को अपनाने में हिचकिचाहट बढ़ती है । शालीनता और मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए भाषा को सुबोध और सुगम बनाना आज के समय की मांग है ।

3. जब-जब सरकारी कामकाज में हिंदी में मूल कार्य न कर उसे अनुवाद की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो हिंदी का स्वरूप अधिक जटिल और कठिन हो जाता है । अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की शैली को बदलने की सख्त आवश्यकता है। अच्छे अनुवाद में भाव को समझकर वाक्य की संरचना करना जरूरी है न कि प्रत्येक शब्द का अनुवाद करते हुए वाक्यों का निर्माण करने की। बोलचाल की भाषा में अनुवाद करने का यह अर्थ है कि उसमें अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्द भी खुलकर प्रयोग में लाए जाएं । भाषा का विशुद्ध रूप साहित्य जगत के लिए है; भाषा का लोकप्रिय और मिश्रित रूप बोलचाल और कामकाज के लिए है।

4. 14.9.2011 में हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय श्री पी. चिदम्बरम, गृह मंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में यह कहा कि 'सहज, सरल और बोलचाल की हिंदी ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में लोकप्रिय होगी और स्थायी रूप से अधिक विशाल क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाएगी'। मंत्रिमंडल सचिव ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर समस्त मंत्रालयों में भेजे गए संदेश में सरल हिंदी के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा है कि 'कार्यालयों में हम टिप्पणियों तथा पत्रादि के मसौदों में, जहां तक हो सके, आसानी से समझ में आने लायक शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। बैठकों, चर्चाओं आदि में हिंदी में बातचीत किए जाने को बढ़ावा देने से हिंदी का अधिकाधिक आधार और व्यापक एवं मजबूत होगा। अधिकारी स्वयं हिंदी को अपनाकर अपने मातहतों के लिए एक मिसाल पेश कर सकते हैं'।

5. हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए राजभाषा विभाग ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं जिन्हें संक्षेप में दोहराना उपयोगी होगा:

(i) कार्यालय ज्ञापन संख्या II/13034/23/75-रा.भा.(ग) दिनांक 17.3.1976

इस कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा गया था कि सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी नहीं है। यह काफी नहीं है कि लिखने वाला अपनी बात खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है। जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि लिखने वाला कहना क्या चाहता है। इस ज्ञापन में यह सलाह भी दी गई थी कि दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि हिंदी में लिखा तकनीकी शब्द कठिन लगे, तो 'ब्रेकेट' में अंग्रेजी पर्याय लिख देना चाहिए। आधुनिक यंत्रों, तरह-तरह के पुर्जों और नए जमाने की चीजों के जो अंग्रेजी नाम चलते हैं, उनका कठिन अनुवाद करने की बजाय उन्हें फिलहाल मूल रूप में ही देवनागरी लिपि में लिखना सभी के हित में होगा।

(ii) कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/1/88 (ग) दिनांक 27 अप्रैल, 1988

इस कार्यालय ज्ञापन में लिखा गया था कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय हिंदी समिति की 2.12.1987 की बैठक में भी यह विचार व्यक्त किया गया था हिंदी में किए गए अनुवाद सरल और स्वाभाविक भाषा में हों। अनुवाद की भाषा ऐसी हो जो आम व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाए।

(iii) शासकीय पत्र संख्या 1/14013/04/99-रा.भा.(नीति) दिनांक 30.6.1999

इस शासकीय पत्र में यह कहा गया था कि अनुवाद की भाषा-शैली सहज, सरल, स्वाभाविक (नेचुरल), पठनीय और बोधगम्य (आसानी से समझ आने वाली) होनी चाहिए। इस पत्र के साथ सरल अनुवाद के उदाहरण भी दिए गए थे।

(iv) कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14011/04/2010-रा.भा. (नीति-I) दिनांक 19.7.2010

इस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्द इस्तेमाल किए जाएं बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे-छोटे बनाएं और हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखें। अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के आम

इस्तेमाल में आने वाले शब्दों के कठिन हिंदी शब्द बनाने की बजाय उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए ।

6. वर्तमान समय में हिंदी पत्रिकाओं में हिंदी का नया और सरल रूप दिखाई दे रहा है । हिंदी का कुछ ऐसा ही रूप सरकारी कामकाज में अपनाए जाने पर इसका व्यापक प्रसार हो पाएगा । आपकी सूचना के लिए हिंदी पत्रिकाओं में लिखी जा रही हिंदी भाषा की आधुनिक शैली के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं:

- (i) 'इस प्रोजेक्ट का 'मकसद साफ़ तर्कों की अहमियत को लेकर अवेयरनेस फैलाना है और इसके अंतर्गत कैम्पस के आसपास का एक बड़ा एरिया आता है।
- (ii) 'कालेज में एक री-फारेस्टेशन अभियान है, जो रेगुलर चलता रहता है । इसका इस साल से एक और प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें हर स्टूडेंट एक पेड़ लगाएगा।
- (iii) 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को जमा करने पर कैम्पस विशेष ध्यान देता है।
- (iv) 'रिटेल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल सिंगिंग और एविनयानिक्स जैसे किसी भी क्षेत्र में फायदे का कैरियर चुनिए'।
- (v) 'किसी भी स्ट्रीम में बेस्ट फाइव में पचास प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र कोर्स के लिए एप्लाई कर सकते हैं।
- (vi) प्रतिभाशाली भारतीय स्टूडेंट्स के लिए वित्तीय सहायता वाले स्कालरशिप के नए अवसर मौजूद हैं, जो पूरा करेंगे उनके हायर एजुकेशन के और क्षेत्र विशेष में अपना कैरियर बनाने के सपने को।

7. सरकारी कार्यालयों में हिंदी के सरलीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं-

- (i) विदेशी शब्द जो हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे- टिकट, सिग्नल, लिफ्ट, स्टेशन, रेल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, स्कूल, बटन, फीस, बिल, कमेटी, अपील, ऑफिस, कंपनी, बोर्ड, गज़ट, तथा अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द जैसे अदालत, कानून, मुकदमा, कागज, दफ्तर, जुर्म, जमानत, तनख्वाह, तबादला, फौज, बंदूक, मोहर को उसी रूप में अपनाने से भाषा में प्रवाह बना रहेगा।
- (ii) बहुचर्चित अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी में लिप्यांतरण करना कभी-कभी ज्यादा अच्छा रहता है बजाय इसके कि किसी कठिन और बोझिल शब्द को गढ़कर लिखा जाए। 'प्रत्याभूति' के स्थान पर 'गारंटी', परिदर्शक के स्थान पर 'गाइड', अनुच्छेद के स्थान पर 'पैरा', यंत्र के स्थान पर 'मशीन', मध्याह्न भोजन के स्थान पर 'लंच', व्यंजन सूची की जगह 'मैन्यू', भंडार की जगह 'स्टोर', अभिलेख के स्थान पर 'रिकार्ड' आदि जैसे प्रचलित शब्दों को हिंदी में अपनाया जा सकता है।

इसी प्रकार संगणक के स्थान पर 'कंप्यूटर', मिसिल के स्थान पर 'फाइल', कुंजीपटल के स्थान पर 'की-बोर्ड', शब्दों का इस्तेमाल अधिक वांछनीय होगा ।

(iii) यदि कोई तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी ऐसा शब्द है जिसका आपको हिंदी पर्याय नहीं आता तो उसे देवनागरी में जैसे का तैसा लिख सकते हैं जैसे इंटरनेट, वेबसाइट, पेनड्राइव, ब्लॉग आदि।

8. हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया तब उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए हिंदी में 'हिंदुस्तानी' और आठवीं अनुसूची में दी गई भारत की अन्य भाषाओं के रूप, शैली व पदों को अपनाया जाए।

9. इस पत्र की प्रति राजभाषा विभाग के तीनों अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं नामतः सेन्ट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यथा सीएचटीआई (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान), सेन्ट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो यथा सीटीबी (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) तथा रीजनल इम्प्लीमेंटेशन आफिसिज़ यथा आरआईओज़ (क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों); एवं सेन्ट्रल कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलोजिज़ यथा सीएसटीटी (केंद्रीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग) जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है (और अनुवाद के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा घोषित शीर्षतम संस्था है), को भेजी जा रही है। उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र में की गई अपेक्षा अनुसार क्रमशः हिंदी भाषा प्रशिक्षण, अनुवाद प्रशिक्षण, कार्यालयों में इस्तेमाल की भाषा, और हिंदी अनुवाद के लिए तैयार/अपडेट किए जा रहे शब्दकोशों में तदनुसार परिवर्तन लाएं।

9.1 सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से यह अनुरोध है कि यूज़र (प्रयोगकर्ता) की हैसियत से, वे जिन शब्दों का हिंदी भाषा द्वारा अपनाया जाना उचित समझते हैं, उन्हें लगातार निदेशक, सीएसटीटी, निदेशक, सीएचटीआई, निदेशक, सीटीबी, सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), सचिव, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता, तथा सचिव, उच्च शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), को उपलब्ध कराते रहें ताकि यह प्रक्रिया निरंतर और स्थायी रूप से चलती रहे।

सहभावन।

भवदीया,

वीणा उपाध्याय
26.9.1
(वीणा उपाध्याय)

सचिव,

समस्त मंत्रालय/विभाग,

भारत सरकार

1.

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अनुरोध सहित पृष्ठांकित की वे इस पत्र की प्रतियां अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में परिचालित करें।

